दिनांक 30.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 50/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–मु0अ0सं0–43/2025 थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित व 50,000/– रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन गिरफ्तार।

दिनांक 30–05–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–43/2025 धारा–191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/110 बी0एन0एस0 में वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली, नि0–हैंसी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

पयागीपुर चौराहा, जनपद सुल्तानपुर, दिनांकः 30–05–2025, समय 10:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक श्री अतुल चतुर्वेदी, एसटीएफ मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 30.05.2025 को उपनिरीक्षक श्री अतुल चतुर्वेदी, मुख्य आरक्षीगण नीरज कुमार पाण्डेय, सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ल, राजीव कुमार व आरक्षी अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव की टीम जनपद प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र रानीगंज में वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की तलाश/अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–43/2025 धारा–191(2)/191(3)/190/352/ 351(3)/109/110 बी0एन0एस0 में वांछित एवं 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली, पयागीपुर चौरहा, जनपद सुल्तानपुर के पास मौजूद है तथा कहीं बाहर भागने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुॅचकर, मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली उपरोक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह फरवरी माह में अपने मामा के घर कलीपुर मैनहा थाना रानीगंज गया था। इसके मामा का किसी से विवाद चल रहा था, दोनों पक्षों में कई बार पहले भी मार–पीट हुयी थी, लेकिन उस समय गोली चल गयी जिसमें उस पक्ष के कई लोग घायल हो गये, उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए पूर्व में घटना में सम्मलित कुछ अपराधियों को जेल भेज दिया गया था, इस घटना में संलिप्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली की गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से इधर–उधर लुक–छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त ऐनुल हसन उर्फ एनुल आब्दीन पुत्र जौहर अली उपरोक्त को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–43/2025 धारा–191(2)/191(3)/190/352/ 351(3)/109/110 बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>आपराधिक इतिहास–</u>

- मु0अ0सं0 341/2021 धारा 386/323/342/504/506 भादवि थाना– मान्धाता प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 167/2023 धारा 323/341/427/504/506 भादवि थाना– मान्धाता प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 81/2024 धारा 307/339/402/411/420/465 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना– देल्हूपुर प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 69/2024 धारा 341/392/411 भादवि थाना– देल्हूपुर प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0–43/2025 धारा–191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/110 बी0एन0एस0 थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

<u>एस0टी0एफ0–दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग का 01 सदस्य गिरफ्तार।</u>

दिनांक 30–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कुमार अभिनन्दन पुत्र रविनेश कुमार, निवासी मकान नं0 441/आरएन– 521/एन रस्तोगी नगर बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ, मूल निवासी – कस्बा व थाना माल जनपद लखनऊ।

बरामदगीः–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

मनोचा बेकरी के पास थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ। दिनांक 29–05–2025 समय 17.30 बजे।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 दिनांक 11–02–2024 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिलने पर उ0प्र0 शासन द्वारा उक्त परीक्षा को निरस्त करते हुये प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सम्पूर्ण जॉच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा कमेटी गठित कर प्रश्नपत्र लीक प्रकरण का अनावरण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त प्रकरण से संबंधित मु0अ0सं0 74/24 थाना सिविल लाइन प्रयागराज की विवेचना निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के द्वारा की जा रही है, को अभिसूचना संकलन से मुकदमा उपरोक्त में एक वर्ष से फरार चल रहे व वांछित अभियुक्तों के सम्बन्ध में जरिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर खास से जानकारी प्राप्त हुयी, जिसके क्रम में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, मु0आ0 सुनील सिंह, अखिलेश कुमार, शेरबहादुर की टीम द्वारा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर कुमार अभिनन्दन उपरोक्त ने बताया कि मेरे पिता का माल में मेडिकल स्टोर है तथा मै भी उन्ही के साथ दवाओं का व्यापार करता हूँ मेरी अलाया डिस्ट्रीव्यूटर के नाम से विभूतिखंड में फर्म तथा ऑफिस है, मेडिकल लाइन में होने के कारण मेरा परिचय डाक्टर शरद कुमार सिंह (मो0नं0 8090661556) निवासी वृंदावन

योजना पी0जी0आई0 लखनऊ से हुआ। वह हमेशा व्हाट्सएप पर बात करता था। उसने बताया कि परीक्षाओं के पेपर आउट कराने वाले कई लोगों को वह जानता है तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। बातचीत के दौरान मैंने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का फॉर्म भरने की बात बताई तो उसने कहा कि यदि 15 लाख रुपए की व्यवस्था करो तो मैं पेपर आउट करवाकर तुम्हें दे सकता हूं। प्री के बाद मुख्य परीक्षा का भी पेपर आउट करवाकर दूंगा नहीं तो रुपये वापस कर देंगे। शरद सिंह के कई बार कहने पर मैं तैयार हो गया और मैंने एडवांस हेतु कुल करीब एक लाख रुपए नकद दिए। उसने गारंटी के तौर पर मेरे हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट व ग्रेजुएशन के अंक पत्र व प्रमाणपत्र और मेरा बैंक ऑफ बडौदा के एकाउण्ट नं0 59580100000400 का एक ब्लैंक चेक आदि ले लिया। उसने 9 फरवरी 2024 की सुबह भोपाल पहुंचाने हेतु बताया तथा अपने साथी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय का व्हाट्सप्प नंबर दिया उन लोगों ने मुझे आउट पेपर पढ़ने के लिए भोपाल बुलाया। सुभाष प्रकाश ने अपना मोबाइल नंबर 8929621261 दिया था जिस पर मेरी व्हाट्सएप से बात होने लगी उसके पश्चात उसने मुझे विवेक उपाध्याय का मोबाइल नंबर 8595745601 दिया जिसने मुझे भोपाल आने को कहा उन लोगों के कहने पर मैं दिनांक 09—02—2024 को सुबह 8:00 बजे भोपाल पहुंचा जहां से इन लोगों ने मुझे होटल कमल पैलेस आनंद नगर बुलाया, जहां पर सुभाष प्रकाश, विवेक उपाध्याय तथा अन्य बहुत सारे लड़के मौजूद थे जो की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 में मेरी ही तरह आए आउट पेपर पढ़ने आए थे हम लोगों को पेपर उपलब्ध कराया गया था जिसका हल प्रश्न उत्तर मैंने वहीं पर पढ़ा। दिनांक11—02—2024 को मैंने परीक्षा दी उसमें वही प्रश्न आए थे जो इन लोगों ने मुझे दिए थे। पेपर के कुछ दिनों बाद जानकारी हुई कि सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय तथा उनके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है फिर मैंने डर कर अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया और छिपकर इधर उधर रह रहा था। इस सम्बन्ध में राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय को उसके साथियों सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2024 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 34/120बी/201 आई0पी0सी0 व 3/4/9/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 व 66 आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही तद्नुसार की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में प्रदेश में चलाये गये ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अभियुक्तों को दिलायी गयी सजा

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के जनपदों में हत्या, लूट, डकैती, पॉक्सों एक्ट आदि के जघन्य अपराधों को चिन्हित कर उक्त अभियोगों का मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्तों को कम से कम समय में अधिक से सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान पूर्व से चलाया जा रहा है।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये तथा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसके फलस्वरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के कम में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती /थाना कलवारी प्रभावी परवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 02 लाख 06 हजार 500 रूपये (कुल–30 लाख 97 हजार 500 रूपये) अर्थदण्ड**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एमपी/एमएलए)/गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित गति न्यायालय प्रथम, बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/323/452/302/307/325/326/504 भादवि व 07 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत **15 अभियुक्तों** को 1–हरिशंकर उर्फ रावण 2–सूर्यप्रकाश उर्फ जगलर 3–रामदास 4–अंगद 5–चन्दन 6–मनोज 7–राज 8–उदयशंकर उर्फ सोनू 9–रामनरेश 10–साजेन्द्र उर्फ सचिन 11–बदरे आलम 12–वीरेन्द्र कुमार 13–राधेश्याम 14–सत्यराम 15–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 02 लाख 06 हजार 500 रूपये (**कुल–30 लाख 97 हजार 500 रूपये**) अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना म्योरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना म्योरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–जनविजय को धारा 302/34/323/392/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 49 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–राजेश 3–दशरथ को धारा 302/34/323 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4–संतोष को धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना कन्धरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अवनीश 2–दीपक को सश्रम आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई /थाना हरपालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरपालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अंशुल 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना जसरथपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जसरथपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शानू उर्फ यासीन को आजीवन कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना इब्राहिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवकुमार उर्फ टेलर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामरूप को सश्रम आजीवन कारावास व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/363/366/376(3) भादवि व 5जे(4)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आशु उर्फ शहजाद को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रंगीलाल उर्फ रमेश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना सिरसाकलार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/34/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रिषी कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 56 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सतीश कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना कबरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कबरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना रिसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लालू को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद बागपत/थाना खेकडा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29.05.2025 को थाना खेकडा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अक्षय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना खेकडा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अक्षय निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना गोवर्धन

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 30.05.2025 को थाना गोवर्धन व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार जतीपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोवर्धन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश निवासी गुलावद मोहम्मदपुर थाना हसनपुर पलवल हरियाणा।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नगला सिंघी

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.05.2025 को थाना नगला सिंघी व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नगला सिंघी पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगला सिंघी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवेन्द्र निवासी ग्राम टीकरी थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/ थाना गाजीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.03.2025 को थाना गाजीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आम्रपाली चौराहा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमान अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फरमान अली निवासी दीनदयालपुरम तकरोही थाना इंदिरा नगर, लखनऊ।

बरामदगी

1—01 कार ।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद आजमगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस ने अभियुक्त अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढही थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———————